झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/86/18 – 19 ,राँची/दिनांकः26/05/2019

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण–पत्रों के बनवाये जाने से संबंधित सूचना

झारखण्ड राज्य में स्थित विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों जहाँ नामांकन के लिये झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की अनुशंसा अपेक्षित है, में अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही सीट आवंटन पत्र निर्गत/नामांकन किया जाता है।

इस क्रम में पर्षद द्वारा अग्रिम रूप से सूचित किया जा रहा है कि शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसित होने के लिये आवश्यक निम्नांकित प्रमाण–पत्रों (जो लागू हो) को साक्षात्कार के पूर्व बनवाना सुनिश्चित कर लें अन्यथा इसे बनवाने के लिये पर्षद द्वारा न तो अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय की मोहलत दी जायेगी और न ही किसी प्रकार की कोई रियायत। प्रमाण–पत्रों के अभाव में नामांकन से वंचित होने की जवाबदेही स्वंय अभ्यर्थियों की होगी।

(क) **स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा पत्रांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0–3198 दिनांक–18.04.2016 द्वारा जारी संकल्प ("झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान) के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

(ख) **जाति प्रमाण–पत्र** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा पत्रांक–14/जा0 नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा जारी पत्र (जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में) के आलोक में अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

(ग) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग द्वारा देय आय और सम्पति प्रमाण–पत्र** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा पत्रांक–14/आ0 नी0–04–03/2019 का0–1433/राँची दिनांक–15.02.2019 द्वारा जारी संकल्प (झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण) के आलोक में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता/सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय और सम्पति प्रमाण–पत्र।

(घ) **निःशक्तता प्रमाण–पत्र** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा पत्रांक–14/आ0 नी0–04–05/2016 का0–2249/राँची दिनांक–03.04.2018 द्वारा जारी संकल्प (निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण) के आलोक में चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र।

(ङ.) **<u>आय प्रमाण–पत्र</u>** :– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में Tution Fee Waiver योजना के तहत निर्धारित सीटों पर नामांकन के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) / उपायुक्त द्वारा निर्गत अधिकतम रू0 8 लाख तक का आय प्रमाण–पत्र।

सुलभ प्रसंग हेतु उपरोक्त कंडिकाओं में अंकित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप तथा उससे संबंधित पत्र या संकल्प, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Act & Circulars या Downloads कॉलम पर देखा जा सकता है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन एवं साक्षात्कार इत्यादि से संबंधित सूचनाओं की जानकारी के लिये आवेदकों को एतद् द्वारा सलाह दिया जा रहा है कि वे पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के सम्पर्क में लगातार बने रहें।

(दिलीप कुमार झा,भा0प्र0से0**)**
परीक्षा नियंत्रक